न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 51 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. इलियासखां पुत्र नुरूखां
2. खानूखां पुत्र नुरूखां
3. सदीकखां पुत्र नुरूखां
4. समदाखां पुत्र नुरूखां फौत के कायम मुकामः–
   - 4 / 1मंजूरखां पुत्र समदाखां
   - 4 / 2कादरखां पुत्र समदाखां
   - 4 / 3आचार पुत्र समदाखां
   - 4 / 4हाकम पुत्र समदाखां
   - 4 / 5अनवर पुत्र समदाखां
   - 4 / 6जीमयत पत्नी समदाखां
5. बादलखां पुत्र बचलखां
6. हाजी पुत्र शेखूखां
7. सरादीन पुत्र शेखूखां
8. गोरामखां पुत्र शेखूखां
9. तैयबखां पुत्र शेखूखां
10. खादमखां पुत्र शेखूखां
11. सहुका पुत्र शेखूखां
12. मालीखां पुत्र शेखूखां
13. इसमत पत्नी शेखूखां
14. हकीम पुत्र हसनखां
15. ईशाक पुत्र हसनखां
16. हैयातखां पुत्र हसनखां
17. सदीकखां पुत्र हसनखां
18. भानी पत्नी हसनखां जाति मुसलमान निवासी गोरामाणियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. सदराम पुत्र सोभाराम
2. रामलाल पुत्र सोभाराम
3. लाधूराम पुत्र सोभाराम
4. मोहनलाल पुत्र साजनराम
5. रामचन्द पुत्र साजनराम
6. जगमाल पुत्र साजनराम
7. सदराराम पुत्र विरधाराम
8. रामचन्द पुत्र विरधाराम
9. मूलाराम पुत्र विरधाराम
10. दुर्गाराम पुत्र विरधाराम
11. हरकिशन पुत्र गोरखाराम
12. नारणाराम पुत्र सुखराम
13. भैराराम पुत्र सुखराम
14. किसनाराम पुत्र सुखराम
15. रूगनाथ पुत्र सुखराम
16. बाबूलाल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
17. पेमाराम पुत्र सुरताराम जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी, बारासण तहसील गुड़ामालानी।
18. शाखा प्रबन्धक, बी.सी.सी.बी. शाखा गुड़ामालानी।
19. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी।
20. तहसीलदार, गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व आवेदन संख्या 20 / 2014 बअनवान सदराम वगैरा बनाम इलियास वगैरा में निर्णय दिनांक 28.07.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री रिड़मलराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 03.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 18 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

भूमि खसरा संख्या 1338 रकबा 161.16 बीघा ग्राम उदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है, जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 345/3, 348/1, 348 प्रार्थीगण के खेत व सड़क मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेतों में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलांटगण से कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ, तथा अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान कर नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये, जिस कारण अपीलांटगण को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट हेतु आदेश किया, जिस पर हल्का पटवारी व आर.आई. ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश की गई। अपीलाधीन आदेश विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित जाकर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलांटगण से कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ, तथा अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान कर नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये, जिस कारण अपीलांटगण को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौका रिपोर्ट तैयार नहीं कर हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट हेतु आदेश किया, जिस पर हल्का पटवारी व आर.आई. ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश की गई। अपीलाधीन आदेश विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित जाकर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1338 रकबा 161.16 बीघा में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित समझते है। अपीलांट के वकील ने मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 20 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 1 से 18 ने मिलकर बलपूर्वक अपीलांट के खेत खसरा संख्या 345/3 में रास्ता निकालने हेतु आमादा हुऐ जिस पर अपीलांटगण ने ऐसा करने का कारण पूछा तो उतरदाता संख्या 01 से 18 ने बताया कि हमने आपके खेत के बीचोंबीच से रास्ता प्राप्त कर लिया है तब अपीलांटगण को अपने हक हकुकों के प्रति संशय पैदा हुआ तो अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन आदेश नकले दिनांक 12.08.2015 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में सद्भाविक रूप से हुए विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.2014 के विरूद्ध अपील दिनांक 24.08.2015 को पेश की गई जो तकरीबन 01 साल बाद पेश की गई। जो की अत्यधिक विलंब से पेश की गई। तथा 01 साल के विलंब को Explain नहीं किया तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में नामांतरण संख्या 294 दिनांक 14.08.2014 को भरा गया जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 01.10.2014 को जमाबंदी की नकले प्राप्त की, उस तारिख से अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी, अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज की जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुचे कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। तथा 10 माह 23 दिन की देरी को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। चूंकि पत्रावली पर मैरिट की बहस भी सुनी जा चुकी है। अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंटगण के आवेदन पर उनके खेत खसरा संख्या 1338 तक निकटतम डामर मार्ग से अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 345/3 रकबा 174.02 बीघा तथा खातेदार पेमाराम (उतरदाता संख्या 19) के खेत खसरा संख्या 348/1 रकबा 16.15 बीघा में प्रत्येक में 15 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु कटाण किये जाने के आदेश दिये। मौका फर्द दिनांक 30.04.2014 से स्पष्ट होता है कि यह रास्ता आवेदक(रेस्पोडेंट) के अलावा ग्राम उदाणियों की ढाणी एवं गोरामणियों की ढाणी के वासिंदों के लिए उपयोगी होगा इसलिए इसमें सार्वजनिक हित भी निहित है। आवेदक ने अपने खेत में से भी इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अपनी खातेदारी भूमि सरकार के पक्ष में समर्पित की है, जिसकी अंतिम छोर से डामर सड़क तक खसरा संख्या 345/3 व 348/1 में रास्ता का निर्णय दिया है। उपयुक्त; सबसे कम दूरी वाला रास्ता अन्य कोई विकल्प नहीं होने से कटाण किया है जो विधि सम्मत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ते के लिए महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर निर्धारण करना वांछित है:–

रेस्पोडेंट/प्रार्थी एवं अन्यों को भी रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता एवं सर्वोतम विकल्प रूप में रेस्पोडेंट की समर्पित भूमि के छोर से डामर सड़क तक सीधा, सुगम व न्यूनतम दूरी वाली चयनित भूमि को रास्ते हेतु कटान किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः लिहाजा अपील अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 20/2014 बअनवान सदराम वगैरा बनाम इलियास वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2014 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

3/6/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

3/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner